

### 3.9 चरित्र:—

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अपना समाधान किया जायेगा।

### 3.10 एनरोलमेंट की प्रक्रिया:—

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 60/2025/1780/पन्वानबे-2025-08प्रकीर्ण/2012 दिनांक 03-11-2025 में निर्धारित “उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका” के अधीन किया जायेगा।

### 4. लिखित परीक्षा:—

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायेंगे, उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में निम्न विषय का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा:—

क्र०सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
1	सामान्य ज्ञान	100	100 अंक	02 घण्टा

प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक निर्धारित है।

- लिखित परीक्षा में 25 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे।
- किसी भी जनपद के अभ्यर्थियों की, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा।
- यह लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० (OMR) आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी।
- लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

### टिप्पणी—

- लिखित परीक्षा का समय 02 घण्टे (120 मिनट) होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी तथा कुल अंक 100 होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक निर्धारित है।
- लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है, जो प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हो।

- 3) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्पों में से चयनित उत्तर के लिये ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर केवल एक गोले को ही पूरी तरह नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से भरा जायेगा। यदि किसी प्रश्न में एक विकल्प गोले को भरने के साथ-साथ अन्य विकल्प गोले पर किसी प्रकार की मार्किंग/रेखा/धब्बा बना पाया जाता है, तो उस प्रश्न का विकल्प गलत उत्तर के रूप में पढ़ा जायेगा। उत्तर बदलने हेतु व्हाइटनर/रबर/ब्लेड का प्रयोग वर्जित है। एक बार उत्तर अंकित किये जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है।
- 4) यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाये जाते हैं तो ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के लिये निर्धारित अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 5) किसी भी दशा में एक से अधिक विकल्पों को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के लिए अंक नहीं दिये जायेंगे।
- 6) ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की तीन प्रतियां होंगी जिनमें से मूल प्रति स्कैनिंग (Scanning) के लिये प्रयुक्त होगी, द्वितीय प्रति उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अभिलेख हेतु तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
- 7) लिखित परीक्षा के प्रवेश-पत्र यथासमय उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।
- 8) लिखित परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथासमय उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- 9) **किसी एक जनपद के** अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनाकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित कराये जाने की दशा में, ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण (NORMALIZATION) की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्या-पीआरपीबी-एक-1(155)/2023 दिनांक 18.12.2023 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- 10) उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं इस विज्ञप्ति में शब्द "अंक" (अधिमानी अर्हता के अंक को छोड़कर) आया हो, उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत "अंक" होगा।
- 11) अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक प्रश्न का एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ही उत्तर के रूप में अंकित करें।

- 12) प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न/उत्तर विकल्प हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न/उत्तर विकल्प मान्य होगा।
- 13) लिखित परीक्षा के उपरान्त उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑन लाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसके सभी उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जायेगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं० 2669(एमबी)/2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उ०प्र० लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जायेगा :-

**सूत्र:- सही उत्तर X निर्धारित अंक  
सही प्रश्नों की संख्या**

#### 4.1 औपबंधिक श्रेष्ठता सूची:-

अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा प्रस्तर-3.7 में अंकित अधिमानी अर्हताओं के आधार पर प्राप्त अंकों को जोड़ने के उपरान्त सभी अभ्यर्थियों की जिलावार सूची श्रेष्ठता क्रम में तैयार की जाएगी। जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के दृष्टिगत तथा आरक्षण के विभिन्न प्रावधानों के आलोक में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए "उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा आहूत किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चत "उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा।

#### 5. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

लिखित परीक्षा एवं अधिमानी अर्हता के अंको के आधार पर जनपदवार औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षक के लिए निम्नानुसार जनपदों में बोर्ड गठित किया जायेगा:-

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1- | जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई डिप्टी कलेक्टर           | -अध्यक्ष |
| 2- | जिला पुलिस प्रभारी द्वारा नामित कोई पुलिस उपाधीक्षक       | -सदस्य   |
| 3- | जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित कोई राजपत्रित अधिकारी | -सदस्य   |
| 4- | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित कोई चिकित्साधिकारी      | -सदस्य   |

#### 5.1 अभिलेखों की संवीक्षा:-

- i. अभिलेखों की संवीक्षा में अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी (लम्बवत/क्षैतिज) के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

क्र०सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
1	सामान्य ज्ञान	100	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	02 घण्टा

(प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक निर्धारित है।)

सामान्य ज्ञान General knowledge

सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उ०प्र० के प्राकृतिक संसाधन, उ०प्र० की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, उ०प्र० में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार, खेल पुरस्कार एवं उपलब्धियाँ, उ०प्र० में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश/राजधानी/मुद्रायें, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उ०प्र० शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोन्मुखी योजनाएं, महिला सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएँ (Natural Phenomenon), महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह।

General knowledge

General knowledge, General science, Indian history, Indian constitution, Indian economy, Indian culture, Indian agriculture, Commerce and Trade, Population, Environment and urbanization, Geography of India, Natural resources of UP, Specific Information regarding Education, culture and Social Traditions, Important Fair and festivals organized in UP, Sports prizes and achievements, Revenue, Police and General Administration in UP, Human Rights, Internal Security and Terrorism, Relation between India and Neighbouring Countries, Contemporary issues of National and international importance, National and International organizations, Prizes and Recognition, Countries / Capitals / Currencies, Important Days, Invention and Discoveries, Books and their Writers, Social Media Communication, Welfare and Public oriented schemes of UP Govt., Women Empowerment, Self Reliance and Industrial Development Initiative, Natural Phenomenon, Important Summits.